राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15010/2023

राजकुमारी चाहर पुत्री श्री ज्ञानी लाल चाहर, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी 45-I, विनय नगर, बोडला रोड, शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश वर्तमान पता-दहारा, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर, राजस्थान----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. उप सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

3. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, कुलसचिव के माध्यम से, कार्यालय कारवार नगर, रोड, जिला जोधपुर-342037, राजस्थान ई-मेल-Dsrrau.it@gmail.com----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री मनीष पटेल

प्रतिवादी(ओं) के लिए:- श्री सुनील पुरोहित

माननीय जस्टिस श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

09/01/2024

1. याचिकाकर्ता, एक विशेष रूप से सक्षम महिला की शिकायत, जो 50 प्रतिशत से अधिक लोकोमोटिव विकलांगता वाली है, जो बचपन की गठिया के कारण होती है, जिसके कारण उसका एक पैर निष्क्रिय है, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति से उत्पन्न होती है जिसे दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक-1) के विज्ञापन के अनुसार भरा जाना है।

2. पहले स्पष्ट तथ्य, जैसा कि याचिका में कहा गया है।

2.1 उत्तरदाताओं ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 05.07.2023 दिनांकित एक विज्ञापन सं. 03/2023, जारी किया। शारीरिक रूप से विकलांग (पी. एच.) व्यक्तियों के लिए कुल 15 पद आरक्षित थे। याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हुए पीएच/विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के तहत उपरोक्त रिक्ति में भाग लिया।

2.2. इसके बाद, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया, जो 07.08.2023 से 16.08.2023 तक निर्धारित था। उत्तरदाताओं ने योग्यता के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित करते हुए एक सूची जारी की थी। याचिकाकर्ता उपरोक्त पद के लिए सफल उम्मीदवारों की योग्यता सूची में स्थान हासिल करने में सफल रहा।

2.3. याचिकाकर्ता को 10.08.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्धारित किया गया था। उन्होंने लिखित रूप में कहा कि राजस्थान होम्योपैथी परिषद से उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन की अंतिम तिथि यानी 16.08.2023 से पहले प्रदान किया जाएगा। और वास्तव में, यह उनके द्वारा 14.08.2023 को प्रस्तुत किया गया था।

2.4. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया

07.08.2023 को शुरू हुई और 16.08.2023 को समाप्त हुई। विशेष रूप से, दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, याचिकाकर्ता ने पहले ही 11.08.2023 पर अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कर दिया था। पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्तरदाता संख्या 3 से विधिवत प्राप्त किया गया था।

2.5. हालाँकि, जब अनंतिम योग्यता सूची जारी की गई थी, तो याचिकाकर्ता का नाम पूरी तरह से इस आधार पर हटा दिया गया था कि जब वह अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित हुई तो उसने 10.08.2023 को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। उनसे कम मेधावी उम्मीदवार को अस्थायी योग्यता सूची में शामिल किया गया था। इसलिए, यह रिट याचिका लगाई गई है।

3. रिट याचिका में दायर विवरण में यह रुख अपनाया गया है कि राजस्थान राज्य होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता को 11.08.2023 को जारी किया गया था और इसे जमा करने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र की तिथि के समान ही यानी 24.07.2023 थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास अपना आवेदन पत्र जमा करने की तारीख तक पंजीकरण की योग्यता नहीं थी। इसलिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक योग्यता होने के कारण, कट ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किया गया है, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं जो संबंधित दलीलों में लिए गए रुख के अनुरूप हैं और अब उसी पर अपनी राय देने और उसके कारणों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आइए देखें कि सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जमा करने के लिए विज्ञापन (अनुलग्नक-1) के अनुसार कट ऑफ तिथि क्या है। खंड 1 का संदर्भ लिया जा सकता है

जो किसी उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता को नियंत्रित करता है। उसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में स्नातक की डिग्री या समकक्ष और राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के तहत दिए गए "नोट" में यह भी कहा गया है कि एक उम्मीदवार को हालांकि राजस्थान होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन दौर के समय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार जबकि शैक्षिक योग्यता रखने के लिए कट ऑफ तिथि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है अर्थात 24.07.2023, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के उद्देश्य से, कट ऑफ तिथि प्रकृति में चल रही है अर्थात दस्तावेज़ सत्यापन दौर के दौरान जो 07.08.2023 से शुरू हुआ और 16.08.2023 तक चला।

6. याचिकाकर्ता का मामला अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दो आधारों पर केंद्रित हैः - ए) उसके पास कटऑफ तिथि तक आवश्यक डिग्री और योग्यताएँ थीं, अर्थात, 24.07.2023 तक , जैसा कि विज्ञापन में कहा गया है। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यक डिग्री वाले उम्मीदवार को राजस्थान होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के साथ भी पंजीकृत होना चाहिए। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान इसके प्रमाण के रूप में कार्य करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. आगे बढने से पहले , आइए पहले अनुलग्नक-5 (जो निर्विवाद है) में योग्य उम्मीदवारों को प्रदान की गई दस्तावेज़ सत्यापन अनुसूची की जांच करें। उसके एक अवलोकन से पता चलता है कि दस्तावेज़ सत्यापन 07.08.2023 से 16.08.2023 तक स्वीकार किया गया था। क्रम संख्या 260 पर सूचीबद्ध याचिकाकर्ता को

10.08.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया था। उस तारीख को, उन्होंने राजस्थान होम्योपैथी बोर्ड द्वारा जारी 08.08.2023 दिनांकित एक पत्र/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। यह प्रमाण पत्र यूपी बोर्ड के साथ उनके पूर्व पंजीकरण और राजस्थान मेडिकल बोर्ड के तहत पंजीकरण के लिए उनके वर्तमान लंबित आवेदन की पुष्टि करता है।

8. हालाँकि, न तो दस्तावेज़ सत्यापन दौर की की शुरुआत यानी 07.08.2023 को और न ही जिस दिन याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ यानी 10.08.2023 को, वह आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम थी। दस्तावेज़ सत्यापन अवधि (जो 16.08.2023 तक बढ़ा दी गई थी) के भीतर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक संक्षिप्त समायोजन के लिए उसके अनुरोध के बावजूद, उसे अयोग्य माना गया क्योंकि वह इसे विशिष्ट तिथि, यानी 10.08.2023 को प्रस्तुत नहीं कर सकी। कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि भर्ती एजेंसी का यह आचरण विज्ञापन के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपेक्षित प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन अवधि अर्थात 07.08.2023 से शुरू होकर 16.08.2023 तक प्रस्तुत किया जा सकता है,।

9. याचिकाकर्ता को 11.08.2023 को उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और उसने दस्तावेजों के सत्यापन दौर के समापन से पहले इसे तुरंत जमा कर दिया। इसके बावजूद, उसके प्रमाण पत्र को इस बहाने से खारिज कर दिया गया कि उसने 10.08.2023 को इसे प्रस्तुत नहीं किया। मुझे लगता है कि प्रतिवादियों का यह दृष्टिकोण न केवल अत्यधिक पांडित्यपूर्ण है, बल्कि तकनीकी बातों पर अनुचित जोर देने का भी संकेत देता है। उनके पूर्व संचार को देखते हुए कि दस्तावेज़ सत्यापन 16.08.2023 तक विस्तारित होगा, उन्हें याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र को अस्वीकार नहीं

करना चाहिए था, जो अन्यथा निर्विवाद है। केवल इसी आधार पर, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना अवैध माना जाता है। जो अन्यथा निर्विवाद है। केवल इसी आधार पर, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना अमान्य है।

10. उल्लेखनीय रूप से, विज्ञापन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि पात्रता का निर्धारण योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। राज्य के होम्योपैथी बोर्ड के साथ प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए किसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, होम्योपैथी स्नातक बनने के बाद पंजीकरण को एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में नहीं बल्कि केवल एक तकनीकी औपचारिकता के रूप में माना जाना चाहिए।

पंजीकरण प्रमाणपत्र को संभवतः योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, भविष्य में, विज्ञापन में एक सुझाए गए संशोधन को किया जाना चाहिए, जिसमें आम तौर पर एक खंड शामिल होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि नियुक्तियां नियुक्ति पत्र जारी करने की एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के अधीन अस्थायी होंगी। ऐसा करने में विफलता, उनकी नियुक्ति को अमान्य कर देगी, और फिर अगले मेधावी उम्मीदवार को अवसर दिया जाएगा। इससे केवल तकनीकी आधार पर अधिक मेधावी उम्मीदवारों को अनावश्यक परेशानी होने से बचा जा सकेगा।

11. मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि यदि प्रतिवादियों के बचाव को बरकरार रखा जाता है तो इससे एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहां दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगी

कि उन्हें सत्यापन के लिए कब बुलाया जाता है। प्रत्येक दस्तावेज़ सत्यापन दिन को कुछ लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जबकि अन्य को बाद में बुलाए जाने का अनुचित लाभ मिलेगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पात्रता की गणना योग्यता के अनुसार की जानी चाहिए, जो कि शैक्षणिक योग्यता प्रतीत होती है।

12. मेरे द्वारा पहले दिए गए एक निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे मुझे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में दिनांक 28.01.2022 को सिविल रिट याचिका संख्या 16902/2020 में (सीमा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) शीर्षक से प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

"7. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करने से पहले भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत अपनी अनिवार्य आवर्ती इंटर्नशिप पूरी की थी। इंटर्नशिप के बाद, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने याचिकाकर्ता को 27.12.2018 को सफलतापूर्वक एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 26.03.2019 को पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया था। याचिकाकर्ता को अनंतिम प्रमाण पत्र सं. पी-9934 दिनांकित 26.03.2019, जारी करना विवादित नहीं है। इस पंजीकरण प्रमाणपत्र में कोई संदेह नहीं है कि यह केवल एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप पूरा करने के लिए मान्य है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसके उपयोग पर इस तरह के किसी भी प्रतिबंध/निषेध के लिए अदालत के ध्यान में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं लाया गया है। ऐसा होने के कारण, हरियाणा चिकित्सा परिषद के साथ 26.03.2019 को याचिकाकर्ता के पंजीकरण का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/2) कट-

ऑफ तिथि यानी 22.01.2020 को संबंधित पद के लिए आवेदन करने के लिए उसकी पात्रता के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है।

8. जैसा कि कहा गया है, पद के लिए आवेदन की कट-ऑफ तिथि 22.01.2020 थी। याचिकाकर्ता ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए दिल्ली चिकित्सा परिषद में पांच दिन पहले आवेदन किया था। सामान्य तौर पर, कोई भी यह समझने में असमर्थ है कि चिकित्सा परिषद को पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदन पर क्यों बैठना चाहिए, जबकि यह केवल एक औपचारिकता प्रतीत होती है। इस तरह के प्रमाण पत्र के अनुदान से पहले न तो उम्मीदवार की कोई योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए और न ही पंजीकरण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त योग्यता है जिसके लिए परिषद द्वारा उम्मीदवार की जांच की आवश्यकता होती है। वास्तव में, पंजीकरण कमोबेश अधिकार के रूप में दिया जाता है, वह भी एकतरफा, केवल पंजीकरण प्रपत्र के लिए आवेदन की सामग्री को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जोड़कर। वास्तव में, जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से पंजीकरण दिया जाता है, उसे देखते हुए यह राय देना उचित और न्यायसंगत लगता है कि एक बार पंजीकरण दिए जाने के बाद, चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, इसे आवेदन की तारीख से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए और प्रमाण पत्र पर रखी गई तारीख की केवल औपचारिकता को केवल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के रूप में पढ़ा जाना है, लेकिन वास्तव में, आवेदन के आवश्यक प्रारूप के तहत आवेदन करने की तारीख से प्रभावी है। किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को पंजीकरण के अनुदान में चिकित्सा परिषद की ओर से प्रक्रियात्मक देरी के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।

9. सी. डब्ल्यू. पी.-9429/2020 में दिए गए एक फैसले में, इस अदालत की ओर से बोलते हुए, मेरे विद्वान भाई, न्यायमूर्ति

हरसिमरन सिंह सेठी को निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः -

"17. उपरोक्त पुनरुत्पादन के एक अवलोकन से पता चलता है कि 1956 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, केवल एक व्यक्ति जो राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत है, एक सरकारी संस्थान या स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य संस्थान में चिकित्सक या सर्जन का पद धारण करने का हकदार है। इसके अलावा, 1956 के अधिनियम की धारा 25 (4) से यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही अस्थायी रूप से पंजीकृत है, प्रशिक्षण पूरा करने पर, धारा 15 के तहत राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण का हकदार होगा, जिसका अर्थ है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को पहले ही अस्थायी पंजीकरण दिया जा चुका है, तो प्रशिक्षण पूरा होने पर, उम्मीदवार को राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण के लिए एक अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें स्थायी पंजीकरण देने के अनुरोध के अलावा कोई अन्य औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है।

18. वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ता को पहले ही 11.07.2019 (अनुलग्नक पी-1) को अनंतिम पंजीकरण दे दिया था, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने 06.01.2020 को अपना प्रशिक्षण/इंटर्नशिप पूरा कर लिया था और इंटर्नशिप के पूरा होने पर, याचिकाकर्ता ने अगली तारीख दिनांक 07.01.2020 को तुरंत दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।अधिनियम 1956 की धारा 25 (4) में प्रयुक्त शब्द 'करेगा' है, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को उसके पक्ष में पहले से दिए गए अनंतिम पंजीकरण के आधार पर स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने का अधिकार था। ऐसा होने पर, उसके दिनांक 07.01.2020 के आवेदन के बावजूद दिल्ली मेडिकल काउंसिल द्वारा अधिकार को स्वीकार करने में देरी याचिकाकर्ता के दावे को विफल नहीं कर सकती

क्योंकि दिल्ली मेडिकल काउंसिल द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने में देरी याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर थी।

19 & 20. XXX XXX XXX

21. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यहां उल्लिखित कानून की प्रयोज्यता में अंतर नहीं कर पाए हैं-वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में पहले, याचिकाकर्ता ने दिल्ली चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण के अनुदान के लिए भी आवेदन किया था, जो चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से बहुत पहले है और यह केवल दिल्ली चिकित्सा बोर्ड था, याचिकाकर्ता के सभी मामलों में पात्र होने के बावजूद, 12.02.2020 को प्रमाण पत्र जारी किया, जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर था और इसलिए, उसे निर्धारित समय - सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने में अधिकारियों की ओर से देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

22. इसके अलावा, यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि वास्तविक चयन प्रक्रिया उक्त तिथि तक 01.03.2020 को लिखित परीक्षा आयोजित करने के साथ शुरू हुई थी, याचिकाकर्ता को पहले ही दिल्ली चिकित्सा परिषद से भी पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल चुका था। इस तथ्य के साथ कि याचिकाकर्ता को पूर्ण चयन प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी गई थी और चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने के लिए योग्यता के भीतर होने के कारण, अब योग्यता में उच्च होने के बावजूद 642 पदों में से एक के खिलाफ नियुक्त होने के लिए उसे अयोग्य घोषित करना, याचिकाकर्ता पर विशेष रूप से अपने करियर की दहलीज पर बहुत कठोर होगा।

10. उपरोक्त दृष्टिकोण से मैं सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

11. वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला भी इसी तरह का है, सिवाय इस मामूली अंतर के कि याचिकाकर्ता ने कट-ऑफ तिथि से

पांच दिन पहले प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और उक्त निर्णय में प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि से दस दिन पहले आवेदन किया गया था। किसी भी मामले में, मेरी राय के मद्देनजर कि एक बार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बाद, इसे आवेदन की तारीख से लागू होना चाहिए न कि जारी होने की तारीख से। यह अप्रासंगिक है कि इसे कब तक लागू किया गया था, जब तक इसे कट-ऑफ तिथि से पहले लागू किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल के साथ याचिकाकर्ता के पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी/2 प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने के लिए कट-ऑफ तिथि के अनुसार पात्रता के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है।"

13. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, इसके विपरीत, राजस्थान राज्य और अन्य बनाम ज़ैबा और अन्य (एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 252/2019) शीर्षक वाले मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इसी तरह की स्थिति में एक उम्मीदवार जिसके पास मेडिकल बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं था, उसे डिवीजन बेंच द्वारा अयोग्य ठहराया गया था, भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली थी।

14. मैंने निर्णय का अवलोकन किया है और मेरा मानना है कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा इस पर भरोसा करना गलत है। उक्त निर्णय में विज्ञापन के अनुसार प्रमाण पत्र अंतिम तिथि बीत जाने के बाद प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि मैंने ऊपर देखा है, आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कट-ऑफ तिथि दस्तावेजों के सत्यापन दौर की निर्धारित तिथियों के दौरान थी। दस्तावेज़ सत्यापन 16.08.2023 को समाप्त होना था और याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि 11.08.2023 को उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

15. पूर्ववर्ती भाग में मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिका

स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। यदि अन्यथा योग्य पाया जाता है, तो याचिकाकर्ता को उसी विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले अन्य सफल उम्मीदवारों की तिथि से संबंधित पद पर नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।